<u>राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर</u>

1.अपील संख्या 1341/2015/कोटा
2.अपील संख्या 1342/2015/कोटा
सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, वृत–कोटा — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जय भवानी एटंरप्राइजेज,
सकतपुरा, कोटा — प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री मदन मोहन शर्मा
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक 23.01.2017

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (कैम्प कोटा) (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 03 व 05/14–15/वैट/कोटा/ई.सी. में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003, (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 20.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, कार्य संविदा एवं पट्टा कर, वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संविदा पर किये गये कार्यो पर 3% से मुक्ति शुल्क देय मानकर पृथक–पृथक आदेश दिनांक 10.02.2014 एवं 03.03.2014 पारित की है, जिनको अपीलीय अधिकारी ने 1% से मुक्ति शुल्क देय मानते प्रत्यर्थी व्यवहारी को 1% की श्रेणी में मानकर ई.सी. जारी किये जाने की कार्यवाही हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष पेश की गई हैं।

दोनों अपीलों में निर्णय हेतु विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण संयक्त निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय प्रति पृथक–पृथक पत्रावली पर रखी जाये।

अपील संख्या 1341/2005 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने माना है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोटा के कार्यादेश संख्या 283 दिनांक 25.09.2013 के द्वारा अपीलार्थी को जी–श्यूडल के अनुसार कुल रुपये 30,40,370.46 का कार्यादेश प्राप्त कर प्रत्यर्थी द्वारा 1% से ई.सी. हेतु कर निर्धारण अधिकारी कों आवेदन किया,

जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने जी–श्यूडल के अनुसार वर्क्स कान्ट्रेक्ट रिलेटिंग टू ई. पी.सी. टर्न की पावर प्रोजेक्ट अवाईडेड बॉय राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लि० से संबंधित नहीं होना मानते हुये इस कार्यादेश को 1% से नहीं मानते हुये इस कार्यादेश को 3% की श्रेणी में माना जाकर 3% की दर से ई०सी० जारी किये जाने को इस अपील में विवादित किया।

अपील संख्या 1342/2005 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने माना है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोटा के कार्यादेश संख्या 432 दिनांक 16.08.2013 के द्वारा अपीलार्थी को जी–श्यूडल के अनुसार कुल रुपये 28,11,767.28 का कार्यादेश मिला जिसे अपीलार्थी के द्वारा 1% से ई.सी. हेतु कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष में आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने जी–श्यूडल के अनुसार वर्क्स कान्ट्रेक्ट रिलेटिंग टू ई.पी.सी. टर्न की पावर प्रोजेक्ट अवाईडेड बॉय राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लि० से संबंधित नहीं होना मानते हुये इस कार्यादेश को 1% से नहीं मानते हुये इस कार्यादेश को 3% की श्रेणी में माना जाकर 3% की दर से ई०सी० जारी किये जाने को इस अपील में विवादित किया।

अपीलार्थी विभाग की ओर से कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, कोटा के कार्यादेश क्रमांक 283 दिनांक 25.09.2012 एवं कार्यादेश क्रमांक 432 दिनांक 16.08.2013 से संविदा कार्य के अर्न्तगत **Work of R&M of steel Work in Plant area in the offices at out side Plant area in the offices at out side plant area & covering of stoplog gate portion at CW pump House at KSTPS Kota** एवं **Work of day to day civil repair work in residental and non residental building including R&M of wall and drains at Thermal colony Kota** कार्य करने हेतु संविदा राशि क्रमशः रुपये 30,40,370/– एवं रुपये 2811767/– के प्राप्त किये जाकर आनलाइन मुक्ति शुल्क हेतु आवेदन कर निवेदन किया गया कि 1% से मुक्ति शुल्क निर्धारित की जाये, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संविदा पर किये गये कार्यो को 3% से मुक्ति शुल्क मानकर आदेश पारित कर क्रमशः रुपये 60,807/– एवं 56,235/– मुक्ति शुल्क आरोपित की है जो कि पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि उक्त संविदा कार्य अधिसूचना दिनांक 13.08.2013 एवं 11.08.2006 के अनुसार अन्य श्रेणी में आने से 3% से मुक्ति शुल्क देय है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने उक्त अधिसूचनाओं पर ध्यान दिये बिना ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किये गये कार्य को 1% श्रेणी में मानकर

ई.सी. जारी किये जाने के निर्देश दिये जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये है जो उचित नहीं है, अतः उन्होनें विभाग द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा समस्त कार्य राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लि0 के प्रोजेक्ट में किया जाना बताया है न कि भवन मरम्मत का कार्य। उन्होंने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, सुपर थर्मल पावॅर स्टेशन, कोटा के कार्यादेश संख्या 283 दिनांक 25.09.2013 व कार्यादेश संख्या 432 दिनांक 16.08.2013 के द्वारा प्रत्यर्थी को जी–श्यूडल के अनुसार कुल रुपये 30,40,370.46 का कार्यादेश मिला वह समस्त कार्य जी–श्यूडल से कवर होने के कारण 1% से ई.सी.जारी किये जाने का निवेदन किया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी के द्वारा समस्त कार्य जी–श्यूडल के अनुसार संविदा कार्य ई.सी.पी टर्न की पावर प्रोजेक्ट में ही किये गये हैं। उनका कथन है कि जी–श्यूडल में वर्णित कार्यादेश भवन निर्माण से संबंधित न होकर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोटा के प्लान्ट में कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्य अधिसूचना दिनांक क्रमांक एफ. 12(15)एफडी/टैक्स/12–114 दिनांक 26.03.2014 के आईटम नं. 2 में शुमार होने के कारण ई.सी. दर 1% की श्रेणी में होने के कारण अपीलार्थी को 1% से ई.सी. दिलवाये जाने का निवेदन किया। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण रुप से विचार करने के पश्चात संविदा पर किये कार्य को अधिसूचना दिनांक 26.03.2014 के आईटम नं. 2 में शुमार होने के कारण 1% की श्रेणी में मानकर ई.सी. जारी करने हेतु प्रतिप्रेषित किये है जो पूर्णतः उचित है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपीले अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड का ससम्मान अध्ययन किया गया। व्यवहारी ठेकेदार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 सुपर थर्मल पॉवर कोटा के कार्यादेश संख्या 283 दिनांक 2513 व कार्यादेश संख्या 432 दिनांक 16.08.2013 से 30,40,370/– रूपये व 28,11,067/– रुपये के Work of R&M of steel Work in Plant area in the offices at out side Plant area in the offices at out side plant area & covering of stoplog gate portion at CW pump House at KSTPS Kota एवं Work of day to day civil repair work in residental and non residental building including R&M of wall and drains at

Thermal colony Kota के कार्यादेश प्राप्त किये और प्रारूप WT-1 में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के अनुसार 1 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क देय है। अतः अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के पृथक– पृथक आदेश दिनांक 20.04.2015 की पुष्टि करते हुये प्रत्यर्थी व्यवहारी पर ईसी फीस 1 प्रतिशत की दर से देयता निर्धारित की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष